



प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक

(प्रवर्तक: पंजाब नेशनल बैंक)

क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर

क्षेत्रीय कार्यालय: 127/128 अंकित विहार
पंचेन्डा रोड, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)
फोन- 7217028797, 7217029220 फैक्स- 0131-24121155
E-Mail: rmmzn@prathamaupbank.com

नीलामी सूचना

वित्तीय अस्तित्वों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 54) के अन्तर्गत बैंक को बंधक अचल सम्पत्तियों नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्तित्वों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है और तत्पश्चात उनके द्वारा बैंक ऋण अदा कर सकने में असमर्थ रहने पर निम्नांकित बंधक सम्पत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा भी बैंक द्वारा ले लिया गया है और अब नीचे लिखित सम्पत्तियों को जैसा है जहाँ है जो कुछ भी है (As is where is what is basis) के आधार पर प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत प्रवर्तन शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक ने विक्रय का निर्णय लिया है।

क्र. सं.	शाखा का नाम	ऋणी का नाम (सम्पत्ति स्वामी का नाम)	सम्पत्ति का विवरण	देयराशि	न्यूनतम रिजर्व मूल्य	अर्नेस्ट राशि	नीलामी का दिनांक समय व स्थान
1.	शाखा रेलपार जिला शामली	श्रीमति चबली पत्नी श्री घनश्याम एवं श्री घनश्याम पुत्र श्री जनार्दन गिरि	आवासीय मकान स्थित है मकान संख्या 555 वार्ड नं 3, मौहल्ला बडियाल जतन परगना एवं तहसील शामली में स्थित है, क्षेत्रफल 77.44 वर्ग मीटर। सिमाएं: पू०: 48' 2", प०: 46' 8", उ०: 16' 7", द०: 17' 10", बाउण्ड्री पूर्व: श्री बृजमोहन का घर, पश्चिम: श्री श्याम गिरी का घर, उत्तर: श्री सुमेर गिरि एवं प्रेम गिरि का घर, दक्षिण: सड़क 7.6'	Rs. 1495057.00 + ब्याज एवं अन्य खर्च 01.01.2023 से	Rs. 2100000/-	Rs. 210000/-	दिनांक 06.02.2024, मंगलवार प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक स्थान: क्षेत्रीय कार्यालय प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, अंकित विहार पंचेन्डा रोड, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)
2.	शाखा रेलपार जिला शामली	श्रीमति नगिता पत्नी श्री विक्रम सिंह	आवासीय मकान स्थित है मकान संख्या 419ए वार्ड नं 9, मास्टर ब्रह्म सिंह वाली गली मोहल्ला रेलपार परगना एवं तहसील शामली में स्थित है, क्षेत्रफल 52.16 वर्ग मीटर। सिमाएं: पू०: 15' 2", प०: 15' 2", उ०: 37', द०: 37', बाउण्ड्री पूर्व: श्री ओमपाल का घर, पश्चिम: रास्ता 8', उत्तर: श्री ओमवीर का घर, दक्षिण: श्रीमति छोटी का प्लॉट।	Rs. 1393951.02 + ब्याज एवं अन्य खर्च 31.01.2023 से	Rs. 1800000/-	Rs. 180000/-	

सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है।
नियम एवं शर्तें: (1) उक्त सम्पत्तियों ऊपर विवेच्य गये रिजर्व मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सम्पत्तियों सबरो अधिक बोली लगाने वाले को बेची जायेगी। (2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नेस्ट धनराशि प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा के पक्ष में देय मुग्तान आदेश/मॉग डाफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई०एम०डी०) के रूप में सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक के पास नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व रायं 5.00 बजे तक जमा करानी होगी। (3) नीलामी समापन समय पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली की 25 प्रतिशत राशि मुग्तान आदेश/मॉग डाफ्ट द्वारा प्रारम्भिक डिपोजिट के रूप में जमा करानी होगी अन्यथा उसकी ई०एम०डी० जमा कर ली जायेगी। अदा की गयी ई०एम०डी० प्रारम्भिक मुग्तान राशि में समायोजित कर दी जायेगी। असफल बोलीकर्ताओं की ई०एम०डी० नीलामी के समय पर ही लौटा दी जायेगी। (4) बोली की रोष राशि विक्रय की स्वीकृति के पश्चात 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी प्रारम्भिक डिपोजिट राशि जब्त कर ली जायेगी और विक्रय की पुष्टि नहीं की जायेगी। (5) जिस सम्पत्ति के लिए क्रेता अपनी ऑफर दे रहा है, उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय सभी न्युनिसिपल/टैक्स/विजली/पानी/अन्य प्रकार ड्यूटीज एवं कर जो भी होंगे मुग्तान की पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की अदायगी भी क्रेता के द्वारा ही करना की जायेगी। (6) प्राधिकृत अधिकारी को बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। (7) यदि ऋणी विक्रय की तारीख से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। (8) यदि नीलामी के दिन अयकारा घोषित किया जाता है तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जायेगी। (9) बोली कर्ता को अर्नेस्ट धनराशि प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा के पक्ष में देय मुग्तान आदेश/मॉग डाफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई०एम०डी०) के रूप में नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व शाम 5.00 बजे तक सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक के पास जमा करानी होगी। (10) उक्त सम्पत्तियों जैसा है, जहाँ है, जितना है जैसा है के आधार पर बेची जायेगी। (11) ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसारसमस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्च सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी और बची हुई राशि यदि कोई है, ब्याज एवं खर्च सहित वसूल की जायेगी।

दिनांक: 05.01.2024 स्थान: मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)